

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-25/2015-
प्रेषक,

103 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रमु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Fax/Mail

सेवा में,

कृषि निदेशक
बिहार पटना।

विषय:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रुपये (एक अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार रुपये) (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना 13553.69 लाख रुपये एवं राज्य योजना 3214.60 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत 135.5369 लाख रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र एवं राज्य योजना अंतर्गत 32.146 लाख रुपये (बत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ रुपये) कुल 167.6829 लाख रुपये (एक करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार दो सौ नब्बे रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,62,79,690 (एक करोड़ बासठ लाख उनासी हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4582 दिनांक-08.09.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 16768.29 लाख रुपये (एक अरब सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनतीस हजार रुपये) (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना 13553.69 लाख रुपये एवं राज्य योजना 3214.60 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत 135.5369 लाख रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र एवं राज्य योजना अंतर्गत 32.146 लाख रुपये (बत्तीस लाख चौदह हजार छः सौ रुपये) कुल 167.6829 लाख रुपये (एक करोड़ सड़सठ लाख अड़सठ हजार दो सौ नब्बे रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹1,62,79,690 (एक करोड़ बासठ लाख उनासी हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹1,62,79,690 (एक करोड़ बासठ लाख उनासी हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र में से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/हरित क्रांति उप योजना का ₹1,35,53,690 (एक करोड़ पैंतीस लाख तिरपन हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जन जातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) , विपत्र कोड-P2401007960331, अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त कुल ₹1,62,79,690 (एक करोड़ बासठ लाख उनासी हजार छः सौ नब्बे रुपये) मात्र में से राज्यांश ₹27,26,000 (सताईस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग संख्या-1 -उपशीर्ष-0140- बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5015, अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रमु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

103 (भाषटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

103 (भाषटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान बिहार, पटना / निदेशक पी0पी0एम0 बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना / अपर निदेशक, (शष्य) बिहार पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना / कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर / कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर / निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र / उप निदेशक, (शष्य) बीज बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना / सभी जिला नोडल पदाधिकारी / अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना / निदेशक बामेति बिहार, पटना / संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।